तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/5/17	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। बहस कौंसल अपीलांट व पैरोकार सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 28/5/17 को पेश हो।
28.5.2017	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप०। प्रस्तुत यह अपील रा० भू० रा० अधि० 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उदी के आदेश दिनांक 20.01.2009 के विरुद्ध दिनांक: 13.5.09 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर में पेश हुई। तत्पश्चात दिनांक: 27.10.2009 को स्थानान्तरित होकर न्यायालय हाजा में प्राप्त हुई।
	प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपील इस आशय की प्रस्तुत की गई कि तहसील पुगल के चक 9 DKD-A स्थित मु० नं० 64/46 के कि० नं० 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमांड/ अ० क० भूमि अपीलांट के दादा माला सिंह की खातेदारी भूमि थी, जिसकी जीवनकाल में ही एक वसीयत अपीलांट के पक्ष में दि: 27.5.1999 उप पंजीयक नोहर में तस्दीक करवाई थी। रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने बगैर अपीलांट को सुने इकतरफा तौर पर गैर अपील आदेश दि: 20.1.09 पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

जिसे निरस्त किया जाकर अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर दर्ज करने के आदेश फरमावे।

अपील के समन करने पर रेस्पोडेन्ट [illegible] तामील नही होने पर वकील अपीलांट के आवेदन पर दि: 19.5.16 को समन समाचार पत्र मे प्रकाशित किये गये। समाचार पत्र में समन प्रकाशन के बावजूद उपस्थित नही होने पर रेस्पो. सं. 1 व 2 के विरुद्ध दिनांक: 2/3/17 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

तत्पश्चात योग्य अभिभाषक अपीलांट एवं पेशकार मजर की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 9 DKD-A के मु.नं. 64/46 के कि. नं. 1 ता. 25 की 24.00 बीघा भूमि अपीलांट के दादा माडा सिंह की खातेदारी भूमि थी। जिसकी उनके द्वारा अपने जीवनकाल मे ही एक वसीयत अपीलांट के पक्ष में दिनांक 27.5.99 को दो गवाहो के सामने उप-पंजीयक सूरतगढ़ में तसदीक करवाई थी। अपीलांट के पिता गुरनाम सिंह पु. अजायब सिंह, जो माडासिंह का भांजा था, को छोटी उम्र में ही गोद ले लिया था। गुरनाम सिंह का आकस्मिक निधन होने पर अपीलांट के परिवार ने ही माडासिंह के वृद्धावस्था में दवा दारू एवं मृत्यु पर सामाजिक संस्कार अदा किये। अपीलांट शुरू से ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त खातेदार रहा। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने एकतरफा तौर पर जेरे अपील आदेश दिनांक: 20.1.09

नामा० से 131 पारित कर दिया, जबकि अधी-
न्यायालय को भलिभांति, जानकारी थी कि
उक्त भूमि अपीलार्थी की वसीयत शुदा है। अतः
अपील आदेश निरस्त किया जाकर और
अपील भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम
दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

योग्य पैरोकार राज्य ने कथन किया कि
राज्य सरकार की कोई हीत नीति प्रकरण में निहित
नहीं है प्रकरण प्राईवेट पक्षकारान के मध्य है
अतः इस संबंध न्यायालय जो भी उचित
आदेश पारित करना चाहे, कर सकता है राज्य
को किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली
का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

जहां तक मियाद का प्रश्न है। दफा-5
मियाद अधिनियम प्रा० पत्र में देरी के उल्लेखित
कारणों पर संतोष जताते हुए न्यायालय
दफा 5 मियाद अधि० का लाभ अपीलार्थी
को देना समुचित मानते हैं अतः प्रार्थना
पत्र स्वीकार कर प्रथम तिथि के ज्ञान के
आधार पर अपील अन्दर मियाद घोषित
की जाती है।

जहां तक अपील के गुणावगुण का
प्रश्न है वकील अपीलार्थी का मुख्य तर्क
है कि अपीलार्थी को बिना सुने अधीनस्थ
न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित
किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के
सिद्धान्तों के विपरित है। प्रस्तुत अपील
में वसीयत के संबंध में जो तथ्य
बहस के दौरान न्यायालय के समक्ष
आये हैं उसके आधार पर इसकी
[illegible] का तहसीलदार को इस संबंध

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में समुचित निर्णय किये जाने हेतु उन्हे रिमाण्ड करने का आदेश दिया जाना ~~समुचित~~ उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण सं. 131 दिनांक 20.1.2009 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट के पक्ष में हुई वसीयत की जांच कर, अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, पूगल को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/4/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

जारी 708 5/5/17